विवरण—II

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की पुस्तकों के प्रचार पर व्यय

वित्तीय वर्ष	व्यय (लाखों में)
1985–86	1.86
1986–87	0.64
1987–88	0.63
1988–89	2.01
1989–90	2.08

बाल साहित्य अकादमी का स्थापित किया जाना

2223. **श्री कपिल वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा बाल साहित्य के लिये किया जा रहा कार्य पर्याप्त है ; यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर बाल साहित्य संबंधी कितनी पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की गई ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" में है तो क्या सरकार केन्द्रीय बाल साहित्य अकादमी बनाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् भी देश में शिक्षा नीति पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का काम करती है ; यदि हां, तो प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की सूची क्या है और प्रतिवर्ष ये पुस्तकें बाजार में कब बिक्री के लिये आती है तथा इनकी संख्या क्या है; और इस संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का वितरण के क्या प्रबंध किये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) रा० शै० अ० प्र० प० ने अभी तक बच्चों की पुस्तकों के 40 शीर्षक प्रकाशित किए हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान रा० शै० अ० प्र० प० ने अंग्रेजी, हिन्दी, व उर्दू में 36 सप्लीमेंटरी रीडर भी प्रकाशित किये हैं । पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 304 पुस्तकें प्रकाशित की हैं । यह अब बच्चों के साहित्य के लिए राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रकाशकों, लेखकों, चित्रकारों तथा अन्य लोगों को, जहां तक संभव हो, एक स्थान पर देश व विदेशी सामग्री तथा विशेषज्ञता और बच्चों के साहित्य के शीघ्र व संतुलित विकास की प्रोन्नति के लिए संगत जानकारी उपलब्ध कराना है ।

(ग) स्कूली शिक्षा की विषयवस्तु तथा प्रगति के पुनः अनुस्थापन की ओर प्रयास के एक भाग के रूप में, रा. शै. अ. प्र. परि. ने स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा बनाया है तथा कक्षा 1 से –11 के लिये पाठ्यचर्या व पाठ्यपुस्तकें विकसित की हैं । रा०शै०अ०प्र०परि० द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा पाठ्यचर्या के निर्धारण के लिए आधार है। राज्यों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा रा० शै० अ० प्र० परि० की पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तकों के अपनाने के बाद ही इनका प्रयोग किया जाता है । प्रकाशित किये जाने वाली पाठ्य पुस्तकों के 213 शीर्षकों में से, रा० शै० अ० प्र० परि० 176 शीर्षक पहले ही प्रकाशित कर चुका है । विस्तृत स्थिति विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए)

रा० श० अ० प्र० परि० द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का वितरण मुख्य रूप में सूचना व प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार के प्रकाशन प्रभाग के माध्यम से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ पटना तथा हैदराबाद में स्थित उनके बिक्री एम्पोरियम से किया जाता है । रा० शै० अ० प्र० परि० द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों के वितरण को सरल बनाने के उद्देश्य से परिषद् ने विशेष रूप से राज्य राजधानियों, में, जहां प्रकाशन प्रभाग के बिक्री एम्पोरियम उपलब्ध नहीं हैं, और अधिक निजी थोक बिक्री एजेंट नियुक्त किए हैं । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित नहीं करता ।

विवरण

शैक्षिक सत्र, 1990–91 के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली रा० शै०अ०प्र०परि० की पाठ्य पुस्तकें देने के संबंध में स्थिति

कक्षा	उपलब्ध कराये जाने वाले शीर्षक की कुल संख्या	दिए गए शीर्षकों की कुल संख्या	25–5–90 व 15–6–90 के बीच जारी किए जाने वाले शीर्षकों की संख्या	दूसरे सत्र के लिए अपेक्षित शीर्षकों की संख्या, जो अक्तूबर, 1990 के अंत तक जारी की जाएंगी
I	5	5	–	–
II	5	5	–	–
III	8	8	–	–
IV	9	9	–	–
V	11	11	–	–
VI	16	14	2	–
VII	15	13	2	–
VIII	16	16	–	–
IX	19	19	–	–
X	19	7	10	2
XI	48	44	2	2
XII	42	25	11	6
कुल	213	176	27	10

Compulsory Retirement of Government officers

2224. KUMARI SAYEEDA KHATUN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to retire compulsorily some Central Government officers by ivoking section 56 J of Fundamental Rules; and

(b) if so, what are the charges against such officers and whether these have been investigated by any intelligence agency of CBI; if so, the details thereof ?

THE PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) and (b) Rule 56(j) of the Fundamental Rules confer on Government an absolute right to retire a Government Servant in public interest under stipulated conditions. Proposals under this provision are considered by the Competent Authority in the concerned Ministry/Department in accordance with the procedure prescribed under instruction issued from time to time. No specific case is under consideration of the Department of Personnel and Training to invoke section 56(j) of the Fundamental Rules. The power to invoke the provisions of FR 56(J), in accordance with the prescribed procedure and guidelines, issued by the Government of India from time to time lies with the competent authority, in the light of facts and circumstances of each case.